

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट , अंजड, जिला बडवानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 451 / 2011  
संस्थान दिनांक 14.09.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द, अंजड,  
जिला-बडवानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. जगदीश पिता बिलमन बेलदार, आयु 55 वर्ष,  
निवासी तलवाडा डेब हा0मु0 अमाली थाना ठीकरी,  
जिला बडवानी म0प्र0
2. रामलाल पिता बद्री बेलदार, आयु 22 वर्ष,  
निवासी तलवाडा डेब थाना अंजड जिला बडवानी म0प्र0

-----अभियुक्तगण

// / निर्णय / /  
(आज दिनांक 20 / 11 / 2017 को घोषित )

1. पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 235 / 2011 में दिनांक 14.09.2011 को प्रस्तुत अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 25.02.2010 को समय शाम 5:25 बजे स्थान ग्राम तलवाडा डेब में आदेशिका वाहक फरियादी कमलसिंह से ग्राम तलवाडा डेब में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बडवानी के कुर्की वारंट के पालन में उनसे कुर्क की गयी सम्पत्ति टी0वी0, कोठी, ड्रम, खाट, कुर्सी व गेहूं कीमती 5000 / - रुपये को अपने सुपुर्दगी में लेने और न्यायालय के आदेश पर उक्त कुर्क शुदा सम्पत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करके उक्त सम्पत्ति को अपने उपयोग में सम्परिवर्तित करके अथवा उसका अन्यथा व्ययन बैईमानी से करके आपराधिक न्यायसभंग कारित करने के लिये भा0द0सं0 की धारा 406 का आरोप लगाया गया है ।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन

साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं , तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था ।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 05.08.2011 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बडवानी के न्यायालय से प्रस्तुतकार श्री राजेश रावत ने थाना अंजड को लिखित में आवेदन यह पेश किया है कि, न्यायालय के क्लेम बजावरी नं० 193/08ग 7/10 में बजावरी धनराशि रुपये 24,988/- लंबित है जिसकी वसूली के लिये न्यायालय द्वारा सी०पी०सी० के आदेश 21 नियम 30 के अंतर्गत चल सम्पत्ति का कुर्की वारंट दिनांक 07.07.2010 को जारी किया गया था जिसके पालन में आदेशिका वाहक श्री कमलसिंह पंवार द्वारा जगदीश पिता बिलमन निवासी तलवाडा डेब को पंच भगवान कोठवाड के समक्ष तथा दि० 05.03.2010 को जारी कुर्की वारंट के पालन में जप्त माल सुपुर्दगीदार रामलाल पिता बट्टी को सुपुर्दगी पर दिया था जिन्हे उक्त जप्त माल न्यायालय में पेश करने के लिये सूचना पत्र दि० 05.01.2011 को जारी किया गया । जो तामिल होने के बाद भी उन्होंने उक्त जप्त माल न्यायालय में पेश नहीं किया । इसलिये उनके विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 406 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिये सूचना पत्र जारी करने के बाद भी उन्होंने ने आवेदन पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया । इस प्रकार जगदीश पिता बिलमन एवं रामलाल पिता बट्टी ने कुर्क सम्पत्ति को सुपुर्दगी में लेकर उक्त सम्पत्ति को न्यस्त रहते हुये न्यायालय में पेश नहीं किया । अतः उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाये । उक्त लेखी रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड में अपराध क्र० 235/11 का दर्ज कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये हैं। आरोपीगण को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय का अभिलेख जप्त कर तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 406 भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं०प्र०सं० के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है ,तथा बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्तों ने दिनांक 25.02.2010 को समय शाम 5:25 बजे ग्राम तलवाडा डेब में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,बडवानी के क्लेम बजावरी नं० 193/08ग 7/10 में कुर्की वारंट के पालने कुर्क की गयी सम्पत्ति टी०वी०,कोठी, ड्रम,खाट,कुर्सी व गेहूं कीमती 5000/- रुपये को अपने सुपुर्दगी में लेने और न्यायालय के आदेश पर उक्त कुर्क शुदा सम्पत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करके उक्त

उनसे

सम्पत्ति को अपने उपयोग में सम्परिवर्तित करके अथवा उसका अन्यथा व्ययन बैईमानी से करके आपराधिक न्यायसभंग कारित किया ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में भगवान (अ.सा.1), राजेश रावत (अ.सा.2), कमल पंवार (अ.सा.3), आर0एस0मंडलोई (अ.सा.4), दिनकर (अ.सा.5), अमित (अ.सा.6), के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्तों की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कमल पंवार (अ.सा.3) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 18.02.2010 को वह जिला न्यायालय बडवानी में आदेशिका वाहक के पद पर था उसे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बडवानी के पीठासीन अधिकारी श्री श्याम कुमार मंडलोई साहब के न्यायालय के क्लेम बजावरी नं0 193/08ग 7/10 का कुर्की वारंट अभियुक्तों से डिक्री धन रुपये 24,9,88/- कुर्की वारंट के जरिये प्राप्त करने के लिये प्र0पी0 8 का कुर्की वारंट प्राप्त हुआ था । उसने दि0 25.02.2010 को उक्त कुर्की वारंट के पालन में आरोपी रामलाल के मकान पर उसके द्वारा डिक्री धन अदा नहीं करने पर उसके कब्जे से चल सम्पत्ति एक ब्लेक एण्ड वाईट टी0वी0, एक कोठी, एक सेल की घड़ी, एक लोहे के पाईप वाली खटिया, एक प्लास्टिक की कुर्सी तथा 3 क्वीटल गेहूं कुल सम्पत्ति की कीमत 5000/- रुपये साक्षियों के समक्ष प्र0पी0 1 के अनुसार कुर्क की थी। जिसका पंचनामा उसने बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने उक्त कुर्क की सम्पत्ति रामलाल को इस शर्त पर दी थी कि, वह उक्त सम्पत्ति को न्यायालय में बुलाये गये समय और स्थान पर पेश करेगा । जिसका सुपुर्दगीनामा प्र0पी0 7 का उसने बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने इसी क्लेम प्रकरण में आरोपी जगदीश पिता बिलमन से डिक्री धन राशि रुपये 24,9,88/- वसूल करने के लिये प्र0पी0 9 का कुर्की वारंट प्राप्त होने पर उसने आरोपी जगदीश के मकान से चल सम्पत्ति एक बकरी सफेद रंग की, एक लोहे की पट्टी वाला पंलग, चार लोहे के पतरे, एक बड़ा ड्रम, एक गोल्ड स्टार कंपनी का ब्लैक टी0वी0 कुल सम्पत्ति की कीमत रुपये 6,300/- प्र0पी0 2 के अनुसार जप्त की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का यह भी कथन है कि, उसने आरोपी जगदीश को इस शर्त के साथ सुपुर्दगी पर दी थी कि, वह उक्त सम्पत्ति को न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर न्यायालय में पेश करेगा । जिसका सुपुर्दगीनामा प्र0पी0 3 का उसने बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

8. साक्षी का यह भी कथन है कि, उसने दि0 09.08.2011 को श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बडवानी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 406 का अपराध दर्ज करने के लिये पत्र थाना अंजड पर पेश किया था

जिसके आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध प्र०पी० 10 का अपराध दर्ज किया था, जिसके एसे ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, न्यायालय का कुर्की वारंट अभियुक्तों को बताने पर अभियुक्तों ने माल जप्त करा दिया था। साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया कि, जप्ती का वारंट कितनी राशि का था अथवा उसने कितने रुपये का माल जप्त किया था। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि, उसने पंचनामों साक्षियों को पढ़कर नहीं सुनाये थे अथवा साक्षियों से कोरे पंचनामों पर हस्ताक्षर करवाये थे।

9. साक्षी राजेश रावत (अ.सा.2) का कहना है कि, वह दिनांक 05.08.2011 को जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वानी में प्रस्तुतकार के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को न्यायालय में लंबित क्लेम बजावरी प्रकरण क्रमांक 193/08ग 7/2010 लखन विरुद्ध रामलाल में बजावरी धन राशि रुपये 24,9,88/- की वसूली हेतु न्यायालय द्वारा सी०पी०सी० के आदेश 21 नियम 30 के अनुसार चल सम्पत्ति के कुर्की का वारंट जारी हुआ था जिसके पालन में आदेशिका वाहक कमल पंवार द्वारा जगदीश पिता बिलमन एवं रामलाल पिता बट्टी को जप्त शुदा माल साक्षियों को सुपुर्दगी पर दिया गया था। जप्तशुदा माल को पेश करने हेतु सूचना पत्र जारी किया था सूचना पत्र तामिली के पश्चात् भी सुपुर्दगीदार द्वारा नियत दिनांक को माल पेश नहीं किया गया। उनकी अनुपस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा सुपुर्दगीदार जगदीश पिता बिलमन निवासी ग्राम तलवाडा डेब एवं रामलाल पिता बट्टी ग्राम तलवाडा डेब के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 406 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने का पत्र उसके हस्ताक्षर से पुलिस थाना प्रभारी अंजड को जारी किया गया था जो प्र०पी० 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. साक्षी का यह भी कथन है कि, जिला न्यायाधीश के पद पर उस समय श्री श्याम कुमार मंडलोई पद थे उसने उनके साथ लगभग डेढ़ वर्ष काम किया है तथा वह उनकी लिखावट एवं हस्ताक्षर पहचानता है। बजावरी प्र०क्रं० 193/08ग 7/2010 आदेश पत्रिका दि० 05.08.2011 को उसने जिला न्यायाधीश महोदय के अनुसार लिखी थी जो प्र०पी० 4 है, जिसके ए से ए भाग पर श्री श्याम कुमार मंडलोई के हस्ताक्षर हैं जो वह पहचानता है। उनके कार्यालय से निष्पादन की कार्यवाही तामिली हेतु अंजड न्यायालय को भेजी गयी थी आदेशिका वाहक श्री कमल पंवार ने जप्त सम्पत्ति रामलाल को देने का सुपुर्दगीनामा प्र०पी० 6 और प्र०पी० 7 तथा आरोपी जगदीश को सुपुर्दगी पर देने का पंचनामा प्र०पी० 2 और प्र०पी० 3 बनाया था। जो मूल बजावरी प्रकरण में संलग्न है जिसके छायाप्रतियां इस प्रकरण में हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, रामलाल पिता जगदीश को आदेश 21 नियम 30 सी०पी०सी० का कुर्की वारंट जारी किया गया था, तथा यह भी स्वीकार किया है कि, दि० 29.10.2009 को क्लेम प्रकरण क्रमांक 193/2008 में पारित अवार्ड की वसूली के लिए बजावरी पेश की गई थी। यह भी

स्वीकार किया है कि, लखन के द्वारा दि० 03.02.2010 को बजावरी प्रस्तुत की गयी थी। यह भी स्वीकार किया है कि, लखन के द्वारा बजावरी अभिलेख अनुसार लगभग 3 माह में प्रस्तुत की थी, तथा यह भी स्वीकार किया है कि, बजावरी में आदेश 21 नियम 11 सी०पी०सी० का कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया था। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि, कोई बजावरी 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत होती हो तो उसमें सीधे कुर्की वारंट का आदेश नहीं होता है, तथा इस सुझाव से भी स्पष्ट इंकार किया है कि, उसमें आदेश 21 नियम 11 सी०पी०सी० का नोटिस होता है।

11. इस सुझाव से भी स्पष्ट इंकार किया है कि, आरोपीगण ने उक्त सूचना पत्र का जवाब दिया था तथा यह जानकारी होने से इंकार किया है कि, आदेशिका वाह श्री कमल पंवार द्वारा मौके पर ही जप्त सम्पत्ति सुपुर्दगीनामें पर दी गयी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, न्यायालय द्वारा आरोपीगण को किस आदेश द्वारा प्र०डी० 1 एवं 2 का सूचना पत्र दिया गया था जिसका उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, कौन सा माल पेश करना है इस का भी उल्लेख नहीं है।

12. भगवान (अ.सा.1) का कथन है कि, वह ग्राम तलवाडा डेब में 7 वर्ष से चोकीदार के पद पर है लगभ 6-7 माह पूर्व न्यायालय से उनके गांव तलवाडा में चपरासी अपने साथ आरोपीगण के नाम से जप्ती वारंट लेकर आया तथा आरोपी रामलाल के घर से उसकी एक टी०वी०, एक कोठी, एक सेल की घड़ी, एक खटिया पाईप वाला, एक प्लास्टिक की कुर्सी तथा गेहूं को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि, आरोपी रामलाल के यहां से कुर्की वारंट की तामिल के बाद न्यायालय का आदेशिका वाहक कमल पंवार ग्राम तलवाडा गया था और वह भी कमल के साथ आरोपी जगदीश के यहां वारंट की तामिली के लिये गया था, किन्तु साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, आरोपी जगदीश के यहां से कमल ने एक बकरी, एक लोहे का पंलग, चार पतरे, एक बड़ा गोल ड्रम, एक टी०वी० गोल्ड स्टार कंपनी का जप्त किया था, लेकिन साक्षी ने प्र०पी० 2 व प्र०पी० 3 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं तथा यह भी स्वीकार किया है कि, जप्त की गयी वस्तुएं आदेशिका वाहक कमल ने न्यायालय के वारंट के अधीन जप्त की थी और उसने आरोपीगण को सुपुर्दगी पर दे दी थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, वह पढ़ा लिखा नहीं है केवल हस्ताक्षर करना जानता है आदेशिक वाहक कमल ने उसे पंचनामें पढ़कर नहीं बताये और क्या वस्तुएं जप्त की यह भी नहीं बताया था। उसने आदेशिका वाहक के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

13. अमित (अ.सा.6) ने केवल प्र०पी० 7 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, न्यायालय के कर्मचारियों ने आरोपी रामलाल की टी०वी०, कोठी, कुर्सी, घड़ी, खटिया और गेहूं जप्त किये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उक्त सामान आरोपी रामलाल को सुपुर्दगी पर दिया था। साक्षी ने

प्र०पी० 7 पर अपने हस्ताक्षर आरोपी रामलाल के घर पर करना स्वीकार किया है । लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि, वह आरोपी को बचाने के लिये पूरी बात सही नहीं बता रहा है । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, प्र०पी० 7 पर बिना पढे हस्ताक्षर किये थे, तथा आरोपी रामलाल के यहा से कोई भी सम्पत्ति जप्त करके उसे सुपुर्दगीनामें पर नहीं दिये थे ।

14. दिनकर (अ.सा.5) का कथन है कि, लगभग 5 वर्ष पूर्व थाना अंजड के सहा उपनिरीक्षक श्री आर०एस० मंडलोई ने आरोपी से पूछताछ की थी, तो आरोपी ने सुपुर्दगी पर ली गयी बकरी की मृत्यु हो जाने, पतरे, पंलग खराब हो जाने तथा टी०वी० और ड्रम बेच देने की बात बतायी थी जिसका पंचनामा प्र०पी० 13 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, उसके सामने थाने पर लिखा पढी हुयी थी लेकिन उसे ध्यान नहीं है कि, प्र०पी० 13 पर जब उसने हस्ताक्षर किये थे उस समय वहा पर कोन कोन व्यक्ति थे साक्षी ने स्पष्ट किया है कि, आरोपी जगदीश वहा पर उपस्थित था और जप्ती के कागज पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे ।

15. आर०एस० मंडलोई (अ.सा.4) का कथन है कि, वह दि० 10.08.2011 को थाना अंजड पर सहा उपनिरीक्षक के पद पर पदस्था था थाना के अपराध क्र० 235/11 की विवेचना के दौरान फरियादी कमल और साक्षी भगवान और अमित के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे उसने आरोपीगण को गिरफ्तार किये थे उसने आरोपी जगदीश से उसे सुपुर्दगी पर दी गयी वस्तुओं के बारे में पूछताछ की थी तब उसने साक्षियों के समक्ष बकरी, पतरे, पंलग, टी०वी० और ड्रम बेच देना बताया था । जिसका मेमोरेण्डम प्र०पी० 13 का उसने तैयार किया था जिसके एसे ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, प्र०पी० 13 का मेमोरेण्डम थाने पर बनाया था । लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि, उक्त मेमोरेण्डम पर साक्षियों से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे । साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसने सभी साक्षियों के कथन मन से लेखबद्ध किये हैं ।

16. इस प्रकार सभी अभियोजन साक्षियों ने आरोपीगण के विरुद्ध क्लेम का निष्पादन प्रकरण रुपये 24,988/- की वसूली के संबंध में लंबित होने और उक्त प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध धनराशि की वसूली हेतु कुर्की वारंट जारी होने तथा कमल पवार (अ.सा.3) द्वारा उक्त वारंट के पालन में आरोपी रामलाल के कब्जे से एक टी०वी०, एक कोठी, एक ड्रम, एक सेल की घड़ी, एक खटिया एवं प्लास्टिक की कुर्सी और तीन क्वीटल गेंहूँ तथा आरोपी जगदीश के मकान से उसके कब्जे से एक बकरी, एक लोहे की पट्टी वाला पंलग, चार पतरे, एक बड़ा ड्रम, एक गोल्ड स्टार कंपनी की टी०वी० जप्त करके उन्हें सुपुर्दगी पर देने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं, जिसका कोई भी खंडन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है । दिनकर (अ.सा.5) ने भी थाना अंजड के सहा उपनिरीक्षक श्री आर० एस० मंडलोई (अ.सा.4) द्वारा आरोपी जगदीश से पूछताछ करने के संबंध में प्र०पी० 13 का मेमोरेण्डम अपने सामने बनाने और उस पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में स्पष्ट

कथन किये है । भगवान (अ.सा.1) ने भी न्यायालय के कुर्की वारंट के पालन में आरोपीगण के आधिपत्य से आदेशिका वाहक कमल द्वारा उक्त सम्पत्ति जप्त करने के संबंध में कथन किये है तथा उक्त वस्तुयें आरोपीगण को सुपुर्दगी पर देना भी स्वीकार किया है । जिनका कोई भी खंडन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है । राजेश रावत (अ.सा.2) ने भी आरोपीगण के विरुद्ध उक्त निष्पादन प्रकरण लंबित होने तथा उक्त आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा सी0पी0सी0 के आदेश 21 नियम 30 के अंतर्गत वसूली वारंट जारी करने और आदेशिका वाहन कमल पंवार द्वारा आरोपीगण के आधिपत्य से उक्त सम्पत्ति जप्त कर उनको सुपुर्दगी पर देने के संबंध में स्पष्ट कथन किये है । साक्षी का यह भी कथन किये है उक्त आरोपीगण को सुपुर्दगीनामों पर ली गयी सम्पत्ति को पेश करने के संबंध सूचना पत्र दिया गया था लेकिन उन्होंने उक्त माल पेश नहीं किया है । अतः आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 406 की कार्यवाही करने के लिये प्र0पी0 5 का पत्र जारी किया था । उक्त साक्षी के कथन का कोई खंडन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है । आर0 एस0 मंडलोई (अ.सा.4) ने भी उक्त अपराध की विवेचना करने के संबंध में कथन किये है ।

17. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेश से परे यह प्रमाणित होता है कि, आरोपीगण ने निष्पादन प्रकरण क्रं0 193/08ग 7/2010 में सुपुर्दगी पर ली सम्पत्ति को न्यायालय द्वारा सूचना पत्र देने के बाद भी उक्त सम्पत्ति पेश नहीं की तथा उक्त सम्पत्ति को अपने उपयोग में लेकर आपराधिक न्यास भंग किया जो कि, भा0द0सं0 की धारा 406 का अपराध जो अभियोजन प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है अतः आरोपी जगदीश पिता बिलम निवासी ग्राम अमाली तथा रामलाल पिता बद्री निवासी तलवाडा डेब को भा0 द0सं0 की धारा 406 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है । प्रकरण की परिस्थितियों और अपराध की परिस्थितियों को देखते हुये आरोपीगण को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय के लेखन स्थगित किया जाता है ।

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

### पुनश्च:-

18. सजा के प्रश्न पर आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया, उनका निवेदन है कि आरोपीगण गरीब, ग्रामीण और अशिक्षित होकर लंबे समय से विचारण का नियमित रूप से सामना कर रहे हैं, अशिक्षा के कारण उनसे यह अपराध हुआ है । अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये ।

19. यह सही है कि, आरोपीगण गरीब, अशिक्षित एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा वर्ष 2011 से नियमित रूप से विचारण का सामना कर रहे है तथा रिमाण्ड अवधि के दौरान अभिरक्षा में भी रहे है जिसको देखते हुये आरोपीगण को और अधिक कारावास से दण्डित करना उचित प्रतित नहीं होता है अतः न्यायालय आरोपीगण जगदीश एवं रामलाल को भा0द0सं0 की धारा 406 के अपराध में दोषी ठहराते हुये 2-2 दिवस के साधारण कारावास तथा रुपये 500-500/-अर्थदण्ड के दण्डित किया जाये। आरोपीगण द्वारा निरोध में बितायी गयी अवधि कारावास की सजा में से समायोजित की जाये। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर 15-15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगें। आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है जप्त सम्पत्ति कुछ नहीं है।
20. आरोपीगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।
21. आरोपीगण को निर्णय के प्रति निःशुल्क दी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही /—  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

सही /—  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी